सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक –22.03.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोगों में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – कोतवाली कोंच में मु0अ0सं0 420/2017 (वाद संख्या – 860/2018) धारा 60 आबकारी एक्ट बनाम देवेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र राकेश कुमार शर्मा निवासी मो0 सुभाष नगर कस्वा व थाना कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 एजेएम कोंच जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – कोत0 कोंच में मु0अ0सं0 140/2020 (वाद संख्या – 173/2021) धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम देवेन्द्र कुमार उर्फ पम्पन पुत्र रामगोपाल पटेल निवासी ग्राम तीतरा खलीलपुर कोत0 कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एजेएम कोंच जालौन, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।